

प्राचार्य
PRINCIPAL



कार्यालय दूरभाष : 0571-2404414
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़
Shri Varshney College, Aligarh
(Accredited B⁺ by NAAC)

दिनांक : 09-04-2026

संशोधित आवश्यक सूचना

कार्यालय - जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय पत्र संख्या : सी-19 / स0क0 / छात्रवृत्ति / 2026-27 दिनांक 08-04-2026 के अनुपालन में महाविद्यालय सत्र 2025-26 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा सत्र 2025-26 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था और उनके द्वारा महाविद्यालय में मूल प्रति जमा नहीं की गयी है तथा उनकी 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं हो रही है, उनको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए ऐसे छात्र-छात्रा दिनांक 10-04-2026 दोपहर 12:00 बजे तक आवश्यक रूप से अपने छात्रवृत्ति फार्म महाविद्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में जमा कर अपनी बायोमैट्रिक साथ ही करालें। अन्यथा की स्थिति में आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा। महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

प्राचार्य

श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय
अलीगढ़

कार्यालय- जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़।

पत्र संख्या C-19 /स0क0/ छात्रवृत्ति/2025-27 दिनांक 08/4/26


- 1- कुल सचिव/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय/ मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़।
- 2- समस्त प्राचार्य/निदेशक,
कालेज/मैडीकल/बी0एड0/बी0टी0सी/पौलोटेक्निक इत्यादि अलीगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित करने के संबंध में।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 119 दिनांक 18.06.2025 तथा शासनादेश संख्या 194/2025/3483/ 26-3-2025-1513982 समाज कल्याण अनुभाग-3 दिनांक 24.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गयी है। कार्यालय पत्र संख्या 1651 दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से पात्र आवेदन पत्रों को अग्रसारित तथा अपात्र आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है। किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक आप द्वारा अग्रसारित/निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

शासन द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं द्वारा 31.03.2026 तक छात्रवृत्ति आवेदन भरा जाना था। तत्पश्चात आप द्वारा आवेदन पत्रों को अग्रसारित/निरस्त करने की कार्यवाही की जानी है। वर्तमान समय में काफी आवेदन पत्र आपके लॉगिन पर आवेदन पत्र प्रदर्शित हो रहे हैं।


अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने लॉगिन पर उपलब्ध समस्त आवेदन पत्र पर अग्रसारित/निरस्त की कार्यवाही करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल को शून्य करने का कष्ट करें अन्तिम तिथि निकट है, कोई आवेदन पत्र आपके पोर्टल पर लम्बित न रहें। आपके पोर्टल पर आवेदन पत्र लम्बित रहने के कारण जनपद की सी0एम0 डैश बोर्ड पर रैंकिंग में गिरावट होती है। उक्त आवेदन पत्रों में पात्र आवेदन पत्र अग्रसारित तथा अपात्र आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। आवेदन पत्र अग्रसारित/निरस्त करने हेतु आपको लगातार अवगत कराया जा रहा है। यदि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है तो उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ़।

पृष्ठांक संख्या व तददिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
4. उप निदेशक, समाज कल्याण अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ़